168

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 118-दो/2011 - विरूद्ध आदेश दिनांक 9-12-2010 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 114/2008-09 निगरानी

1- कोक सिंह 2- केशव सिंह
3- भगवान सिंह पुत्रगण छोटेसिंह ठाकुर
ग्राम जहारपुरा मौजा लुधावली
तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0 ----आवेदकगण

विरूद्ध

मदन सिंह पुत्र अमोल सिंह ठाकुर
ग्राम विण्डवा तहसील पोरसा जिला मुरैना ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 24-10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 114/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-12-2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण की मांग पर तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 12/2006-07 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 12-2-2007 से ग्राम लुधावली की भूमि सर्वे कमांक 3592 रकबा 1.043 हैक्टर का व्यवस्थापन किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने

प्रकरण कमांक 73/2008-09 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-7-2009 से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर एंव अपील अनुमति आवेदन तथा धारा 52 के आवेदन पर आवेदकगण को सुने जाने साथ अनावेदकगण को सुने जाने के लिये तलब किये जाने का निर्णय लिया। अनुविभागीय अधिकारी के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 114/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-12-2010 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के प्रकरण कमांक 73/2008-09 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-7-2009 के कम में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 114/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-12-2010 की तुलना करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 9712-10 के पद 5 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाले हैं :-

" निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्र दण्डौतिया का यह तर्क कि अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह को सर्वप्रथम अपील अनुमति वावत् प्रस्तुत आवेदन पत्र एंव अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण सर्वप्रथम करना चाहिए। मेरे विचार से इन आवेदन पत्रों का निराकरण करने से पहिले अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया जाना आवश्यक है और धारा 5 के अंतर्गत प्रसतुत आवेदन पत्र का निराकरण तभी होगा, जब दोनों पक्षों को सुना जावेगा। विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-7-2009 से अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाया है एंव निगरानीकर्तागण को सुनवाई के लिये नोटिस जारी किये हैं। मेरे विचा से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता एंव अवधानिकता नहीं की है। "

1. फलवरूनिशा बनाम आसाम बोर्ड आफ रेवेन्यू A.I.R. 1974 गुपरहरध्अह 50 का न्याय दृष्टांत है कि अपील समय वर्जित थी। विचारणीय प्रश्न यह था कि कि क्या विलम्ब को एकपक्षीय तौर पर क्षमा किया जाकर अपील को एडमिट किया जा सकता है। इस संबंध में सकारात्मक मत दिया गया। यह अभिमत दिया गया जब कोई अपील अथवा आवेदन समयवर्जित हो तो इसे प्रतिपक्ष को सूचित किये बिना विलम्ब करने के उपरांत एकपक्षीय तौर एडमिट कर लिय गया हो तो ऐसा किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लॅघन में होगा।
2. लक्ष्मीप्रसाद बनाम नेशनल थर्मल पावर कार्पो. 2009(2) छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंटर 61 छत्तीसगढ़ का न्याय दृष्टांत है कि अपील प्रस्तुति में विलम्ब क्षमा करने के आवेदन पर प्रतिपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना मंजूर किया जाना अमान्य किया गया है।

उक्त कारणों से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 114/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-12-2010 में लिया गया निर्णय नियमानुकूल है जिसके कारण हस्तक्षेप करना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 114/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-12-2010 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर